प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.09.2026

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 12.09.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त दिलशाद पुत्र मो0 इरशाद को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पूर्व में उक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना न्यु उस्मानपुर दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशे का आदि हूँ। मैं दिल्ली से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम दामों में बेच देता हूँ तथा मिले पैसो से अपने शौक पूरे करता हूँ। मैनें यह मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी और इसे अभी तक छिपा कर रखा था। आज मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलशाद पुत्र मो0 इरशाद निवासी शंकर विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में थाना अंकुर विहार पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग व थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली पर मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.07.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष का घर से कही चले जाना तथा वापस घर न आना जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया

गया तथा तलाश हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात वादिया की पुत्री को बरामद किया गया तथा उसके बयानों व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी जिसमें अभियुक्त प्रमोद का नाम प्रकाश में आया जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगायी गयी।

आज दिनांक 12.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रमोद पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम तलैसरा थाना गौण्डा जनपद अलीगढ हाल निवासी कस्बा लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं वादिया की बेटी को 01 साल से जानता था हमारी आपस में फोन से बातचीत होती थी। मैं उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम तलैसरा थाना गौण्डा जनपद अलीगढ हाल निवासी कस्बा लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व चोरी किये गये आभूषण बरामद।

दिनांक 07.09.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर सोने, चांदी के आभूषण व रूपये चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा- 331(4)/305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व चोरी का माल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.09.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. आकिब पुत्र यामीन निवासी ग्राम लिसाडी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ व वर्तमान पता मंडौरा गांव जिला सोनीपत राज्य हरियाणा, उम्र करीब 28 वर्ष 2. ध्यान सिंह पुत्र जुगराज सिंह निवासी ग्राम रामनगर मेधूपुर थाना भरतना जिला इटावा हाल पता नसबंदी कॉलोनी डाबर तालाब थाना अंकुर

विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चोरी के आभूषण, रुपये व अवैध असलाह बरामद हुये तथा अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

आज दिनांक 12.09.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले सह-अभियुक्तगण 1.राजू उर्फ राज मोहम्मद पुत्र मो0 रब्बानी 2. आदिल पुत्र अशीर अहमद को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किये गये 02 पीली धातु की चेन, 01 पीली धातु का गले का हार बडा, 02 पीली धातु के कान के झुमके, 01 पीली धातु का पैन्डल, 02 पीले धातु के कान के टॉप्स, 01 पीली धातु का गले का हार तथा कुल 2800/- रुपये नगद व अवैध 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अवैध तमंचा बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारे पास से जो रुपये तथा आभूषण बरामद हुये हैं, ये सभी हमने अपने साथियों आकिब और ध्यान सिंह के साथ मिलकर डीएलएफ क्षेत्र में एक बन्द मकान से चोरी किये थे उनको हमने आपस में बांट लिया था तथा बरामद तमंचे के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त आदिल ने बताया कि यह तमंचा मैंने लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से अपने पास रखा हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. राजू उर्फ राज मोहम्मद पुत्र मो0 रब्बानी निवासी ग्राम जटा थाना उसेत जनपद बदायूँ, हाल पता नसबंदी कॉलोनी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष।
2. आदिल पुत्र अशीर अहमद निवासी माली थाना बिसौली जनपद बदायूँ, हाल पता नसबंदी कॉलोनी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी किये गये 02 पीली धातु की चेन, 01 पीली धातु का गले का हार बडा, 02 पीली धातु के कान के झुमके, 01 पीली धातु का पैन्डल, 02 पीले धातु के कान के टॉप्स, 01 पीली धातु का गले का हार आदि तथा कुल 2800/- रुपये नगद, व अवैध 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त आदिल के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर अवैध तमंचा बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

गजियाबाद पुलिस का चार पहिया वाहन चोर गिरोह के विरूद्ध सशक्त अभियान

क्राइम ब्रान्च व थाना लिंक रोड़, पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गाजियाबाद, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया वाहन चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 02 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 कार व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चार पहिया वाहनों की चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांकः 12.09.2026 को क्राइम ब्रान्च व थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा गाजियाबाद, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी व चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले अन्तर्राज्जीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 02 शातिर सक्रिय सदस्य 1. धीरज कुमार उर्फ राहुल अरोड़ा पुत्र शम्भू साहनी निवासी राजवंशीनगर, शास्त्रीनगर, पटना बिहार, 2. प्रिन्स कुमार पुत्र श्री मदन राय निवासी ग्राम सरना महुआ, वैशाली बिहार, को थाना लिंक रोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से गाजियाबाद व दिल्ली से चोरी की गयी 04 कार बरामद की गयी है । इस शातिर गिरोह के 03 सदस्य 1. राज उर्फ राजकुमार पुत्र प्रदीप लाल महतो निवासी क्वाटर नं0 168 राजवंशी नगर थाना शास्त्री नगर, पटना, बिहार, को दिनांकः 30.08.2026 को थाना लिंक रोड़ से व दिनांकः 09.09.2026 को मुठभेड के दौरान थाना इन्द्रापुरम से 2. गुड्डू कुमार पुत्र मुकेश सिंह निवासी ग्राम नुआकुर जिला त्रिशूली नेपाल हाल पता मोहल्ला पोस्टल पार्क रोड नं0 3 थाना झकनपुर पटना बिहार, 3. छोटू कुमार पुत्र स्व0 चंदन राय निवासी न्यू पुनाई चौक थाना शास्त्री नगर जिला पटना बिहार को क्राइम ब्रान्च द्वारा जेल भेजा जा चुका है। इनके कब्जे से 02 कार चोरी की बरामद की जा चुकी हैं ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि उसका दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले चोरों व चोरी किये गये वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वालों का एक संगठित गिरोह है। जिसमें गुड्डू कुमार व छोटू निवासीगण पटना व कुनाल उर्फ ताऊ उर्फ राहुल निवासी दिल्ली सक्रिय सदस्य हैं। जिसमें छोटू हमारे गैंग का लीडर है। हम लोग डिमाण्ड के अनुसार गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया गाडियों की चोरी करते हैं तथा चोरी किये वाहनों को अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। चोरी किये गये वाहनों को बेचने से जो मुनाफा होता है उसको आपस में बराबर-बराबर आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. धीरज कुमार उर्फ राहुल अरोड़ा पुत्र शम्भू साहनी निवासी राजवंशीनगर, शास्त्रीनगर, पटना बिहार, उम्र 27 वर्ष।
2. प्रिन्स कुमार पुत्र श्री मदन राय निवासी ग्राम सरना महुआ, वैशाली बिहार, उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 क्रेटा कार रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP14EK0059 (थाना लिंक रोड़ क्षेत्र से चोरी)
2. 01 क्रेटा कार रजिस्ट्रेशन नम्बर- DL10CN0302(थाना पश्चिम विहार क्षेत्र से चोरी)
3. 01 क्रेटा कार रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP16BC4113 (थाना इन्द्रापुरम क्षेत्र से चोरी)
4. 01 वैगनार कार रजिस्ट्रेशन नम्बर- DL1CAC6114 (थाना के0एन0काटजू मार्ग दिल्ली क्षेत्र से चोरी)
5. फर्जी नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग- आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. क्राइम ब्रान्च, गाजियाबाद।
2. थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा पॉलिसी कम्पनियों के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर बीमा पॉलिसी धारकों के रिन्यू व रिफन्ड कराने का झूठा लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा विभिन्न बीमा पॉलिसी कम्पनियों के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर बीमा पॉलिसी धारकों के रिन्यू व रिफन्ड कराने का झूठा लालच देकर सीधे-साधे व्यक्तियों से धोखाधडी करने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य 1. गणेश नयाल उर्फ सिड पुत्र कुन्दन सिंह निवासी फ्लेट नं0-303, तृतीय तल, जीडिए फ्लेट शक्तिखण्ड, इन्दिरापुरम, 2. पुनीत गुप्ता पुत्र गंगाप्रसाद गुप्ता निवासी तिगरी, विसरख, नोएडा 3. आदित्य शर्मा पुत्र हरीश शर्मा निवासी म0नं0-170, गली नं0-2, मालीवाडा, नेहरू नगर, थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है । अभियुक्त कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 01 चैकबुक, 01 एटीएम कार्ड, 01 डाटालिस्ट पॉलिसी धारक बरामद किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम सभी लोग साथ मिलकर विभिन्न बीमा पॉलिसी कम्पनियों के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर एवं अपनी फर्जी पहचान बनाकर बीमा पॉलिसियों के पॉलिसी धारकों के मोबाइल नम्बर पर बीमा पॉलिसी को रिन्यू तथा रिफन्ड कराने का झूठा लालच देकर विभिन्न खातों में पैसे ट्रान्सफर कराते हैं। हमारे साथ इस काम में राहुल मिर्जा एवं अन्य लोग भी शामिल हैं। पॉलिसी धारकों को कॉल करने के लिए फर्जी आई-डी के प्री-एक्टिवेट सिमकार्ड पुनित गुप्ता के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। पॉलिसी धारकों से पैसे ट्रान्सफर कराने की डिटेल व पॉलिसीधारकों से सम्बन्धित डाटा गणेश नयाल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यदि पॉलिसीधारकों को पता चल जाता था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो हम लोग फर्जी चैक बनाकर शिकायतकर्ता को व्हाट्स-अप के माध्यम से भेज देते थे। शिकायतकर्ता जब ज्यादा परेशान करने लगता था तो हम लोग अपने फर्जी सिम व मोबाइल तोड़कर फेंक देते है। जिससे हम लोग पकड़ में नहीं आते हैं।

इन लोगों से बरामद फोन, बैंक खाते तथा मोबाइल फोन में उपलब्ध कूटरचित बीमा पॉलिसियों से 06 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, पांडुचेरी, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, राजस्थान की कुल 17 घटनायें NCRB पोर्टल पर पंजीकृत हैं। सभी घटनाओं से सम्बन्धित अनुमानित 19 लाख रूपये की ठगी के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. गणेश नयाल उर्फ सिड पुत्र कुन्दन सिंह निवासी फ्लेट नं0-303, तृतीय तल, जीडिए फ्लेट शक्तिखण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
2. पुनीत गुप्ता पुत्र गंगाप्रसाद गुप्ता निवासी तिगरी, विसरख, नोएडा।
3. आदित्य शर्मा पुत्र हरीश शर्मा निवासी म0नं0-170, गली नं0-2, मालीवाडा, नेहरू नगर, थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. 05 मोबाइल फोन,
2. 01 चैकबुक,
3. 01 एटीएम कार्ड,
4. 01 डाटालिस्ट पॉलिसीधारक

आपराधिक इतिहास- आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. क्राइम ब्रान्च, गाजियाबाद।
2. थाना इन्द्रापुरम, पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 320 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

घटना का विवरण: आज दिनांक 12.09.2026 को पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1. **अमित जाटव पुत्र सतपाल निवासी चरण सिंह कलोनी मकान नंबर 392, गली नंबर 8, थाना विजयनगर गाजियाबाद 2. विशान्त जाटव पुत्र लोकेश निवासी म0न0 245 सम्राट चौक, संघर्ष कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद** को कब्रिस्तान के पास जलनिगम (विजयनगर) से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 किलो 320 ग्राम अवैध (नाजायज) गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया, "साहब, हम गांजा खरीदकर उसे छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक करके एनसीआर क्षेत्र में चलते फिरते लोगों को बेचते है । आज भी हम अपना माल बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया । अभियुक्तों से माल कहां से लाती हो पूछा गया तो बताया कि हमें माल हर बार कोई नया व्यक्ति देता है । जिसे हम नही जानते हैं ।

अभियुक्तों के नाम व पते:

1. अमित जाटव पुत्र सतपाल निवासी चरण सिंह कलोनी मकान नंबर 392, गली नंबर 8, थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष ।
2. विशान्त जाटव पुत्र लोकेश निवासी म0न0 245 सम्राट चौक, संघर्ष कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:

1. 02 किलो 320 ग्राम अवैध (नाजायज) गांजा।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:

- थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा क्रेडिट कार्ड के बिल जमा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 मोबाइल आईफोन, 01 बोट एयरपॉड्स, 01 क्रोमा ईअरबड्स, 01फिलिप्स ट्रिमर, 01 फिलिप्स गारमेन्ट्स स्टीमर , 01 पावर बैंक व 3 मोबाइल एडॉप्टर व 1200 रू नगद बरामद ।

दिनांक 10.09.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा खुद को एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट कर्मचारी बताकर एक्सिस बैंक के खाते से दो बार में करीब 3,12,589/- रुपये की राशि अनाधिकृत से ऑनलाइन फ्रॉड कर निकाल लेना जिसके संबंध में थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.09.2026 को क्रेडिट कार्ड के बिल जमा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर ऑनलाइन शापिंग करने वाले 02 अभियुक्तों 1.अरूण पुत्र उदय सिंह निवासी - गली न0 17 स्वरूप नगर दिल्ली, उम्र करीब 36 वर्ष 2. अंकित कुशवाहा पुत्र कुवंर पाल निवासी-आई ब्लाक लिवासपुर टाउन दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 10 मोबाइल आईफोन, 01 बोट एयरपॉड्स, 01 क्रोमा ईअरबड्स, 01फिलिप्स ट्रिमर, 01 फिलिप्स गारमेन्ट्स स्टीमर , 01 पावर बैंक व 3 मोबाइल एडॉप्टर व 1200 रू नगद बरामद हुए ।अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोग साथ मिलकर सीधे-साधे लोगों को क्रेडिट कार्ड का बकाया बिल जमा कराने के नाम पर अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करते हैं। हम लोगों को क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान कराने के नाम पर विभिन्न प्रकार के लिंक बनाकर उनके मोबाइल नंबर पर भेजते हैं तथा लिंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कराने की बात कहकर उनसे धनराशि ट्रांसफर कराते हैं। लोगों द्वारा हमारे द्वारा भेजे गये लिंक के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर किये जाने के उपरान्त हम उक्त धनराशि को सीधे दुकानों/स्टोर के खातों में सामान की खरीदारी के बिल के भुगतान के रूप में ट्रांसफर कराते हैं तथा वहां से मोबाइल फोन एवं अन्य सामान प्राप्त करते हैं। हम लोग धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि से ऑनलाइन मोबाइल फोन, ईयरबड्स, ट्रिमर, गारमेंट स्टीमर, पावर बैंक, मोबाइल एडेप्टर आदि सामान खरीदते हैं। हमारे कब्जे से बरामद 10 मोबाइल आईफोन, 01 बोट एयरपॉड्स, 01 क्रोमा ईअरबड्स, 01 फिलिप्स ट्रिमर, 01 फिलिप्स गारमेन्ट्स स्टीमर , 01 पावर बैंक व 3 मोबाइल एडॉप्टर व 1200 रू नगद भी इसी प्रकार लोगों से धोखाधड़ी कर प्राप्त की गयी धनराशि से ट्रांसफर कराकर की गयी ऑनलाइन शॉपिंग/लेन-देन से संबंधित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.अरूण पुत्र उदय सिंह निवासी - गली न0 17 स्वरूप नगर दिल्ली, उम्र करीब 36 वर्ष।

2. अंकित कुशवाहा पुत्र कुवंर पाल निवासी-आई ब्लाक लिवासपुर टाउन दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

- 10 मोबाइल आईफोन
- 01 बोट एयरपॉड्स
- 01 क्रोमा ईअरबड्स
- 01फिलिप्स ट्रिमर
- 01 फिलिप्स गारमेन्ट्स स्टीमर
- 01 पावर बैंक
- 03 मोबाइल एडॉप्टर व 1200 रू नगद बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा गैगंस्टर के अभियोग मे वांछित 25000/- के ईनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर अभियुक्त सुरेश चौधरी पुत्र मदन सिह नि0 ग्राम हसनपुर थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 43 वर्ष हाल पता किराये का मकान प्रशान्त के मकान में पंचवटी कालोनी थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर सम्बन्धित मु0अ0स0 135/26 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त सुरेश चौधरी उपरोक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि साहब मै अपने साथियों के साथ जल्दी पैसे कमाने के लालच में नशीले पदार्थ के कारोबार में संलिप्त हो गया था तथा पुलिस से बचने के लिये मैं लगातार फरार चल रहा था ।

नाम पता अभियुक्तः-

अभि0 सुरेश चौधरी पुत्र मदन सिह नि0 ग्राम हसनपुर थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 43 वर्ष हाल पता किराये का मकान प्रशान्त के मकान में पंचवटी कॉलोनी थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 10.09.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन से दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रुप

से प्रताड़ित कर छत से धक्का देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा-80,85,115(2),352 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दहेज मृत्यु के अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र रमेश को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त गौरव ने बताया कि मेरी शादी करीब 06 माह पूर्व हुई थी। मैं व मेरे परिवार वाले शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों से शादी में दहेज न मिलने को लेकर नाखुश थे तथा मैंने व मेरे घरवालों ने मेरे ससुराल वालों से 30 लाख रुपये व एक गाड़ी स्कॉर्पियो N दहेज में मांगी थी जो उन लोगों के द्वारा नहीं दी गयी थी। इसी बात को लेकर मैंने व मेरे घरवालों ने मेरी पत्नी को मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र रमेश निवासी मैन रोड मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष। (मृतिका का पति)

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत धोखाधड़ी, कूटरचना एवं गबन के गंभीर अभियोग में SIT टीम की कार्यवाही, मुख्य वांछित/वारंटी/पुरस्कार घोषित अभियुक्त वरुण मक्कड़ एवं निधि मक्कड़ तथा नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा से संपर्क रखकर उन्हें अपने घर में पनाह आश्रय देने एवं आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त अभियुक्त जगदीश ग्रोवर गिरफ्तार।

दिनांक 11.09.2026 को वांछित अभियुक्त वरुण मक्कड़ एवं निधि मक्कड़ तथा नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा को अपने घर पर पनाह /आश्रय देने एवं अभियोग की घटना में संलिप्तता के संबंध में प्रकाश में आये अभियुक्त जगदीश ग्रोवर पुत्र स्व० ओमप्रकाश ग्रोवर, उम्र करीब 62 वर्ष, निवासी के-30 क्रान्तिनगर, टाउन व थाना बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को SIT टीम द्वारा मोरटा राजनगर चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त जगदीश ग्रोवर द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री निधि मक्कड़ एवं दामाद वरुण मक्कड़ तथा नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा द्वारा RIGHT EARTH INFRA एवं ASR Realtech के नाम से लोगों को आकर्षक दरों पर दुकान/फ्लैट दिलाने

का झांसा देकर धनराशि प्राप्त की जाती थी जिसमें जगदीश ग्रोवर द्वारा अभियुक्त से अपने खाते में 05 करोड रूपये प्राप्त किये गये तथा कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी। अभियुक्त जगदीश ने बताया कि मुकदमे दर्ज होने के बाद वरुण मक्कड़, निधि मक्कड़ व नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा फरार होकर उसके बिलासपुर स्थित मकान पर आये थे, जिन्हें उसने अपने घर पर ठहराकर भोजन-पानी उपलब्ध कराया तथा पुलिस से छिपाने में सहयोग किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जगदीश ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश ग्रोवर, उम्र करीब 62 वर्ष, निवासी मकान नं0 K-30, क्रांतिनगर, कस्बा व थाना बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

निल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

निरीक्षक सतराज सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम थाना नन्दग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पहल

" वरिष्ठ नागरिक अकेले नहीं, गाजियाबाद पुलिस हर कदम पर उनके साथ"

आज,उम्र के इस पड़ाव पर सुरक्षा के साथ-साथ भरोसे, संवेदनशीलता और सहयोग की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इसी भावना को केंद्र में रखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं सेवा के लिए एक मजबूत, संवेदनशील एवं बहुस्तरीय पुलिस व्यवस्था संचालित की जा रही है।

बदलते सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या और उनके सामने आने वाली सुरक्षा संबंधी चुनौतियां लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। बढ़ती आयु वाली आबादी, तेजी से बढ़ते शहरीकरण तथा संयुक्त परिवारों के स्थान पर बढ़ते न्यूक्लियर परिवारों की प्रवृत्ति के कारण अनेक वरिष्ठ नागरिक पहले की अपेक्षा अधिक अकेलेपन की स्थिति में रह रहे हैं। ऐसे में उन्हें केवल कानून-व्यवस्था संबंधी सहायता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, भरोसे, संवाद, मार्गदर्शन और समय पर सहयोग की भी आवश्यकता होती है।

इसी बदलती सामाजिक आवश्यकता और समय की मांग के अनुरूप कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा को और अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए अकेले पुलिस कार्यालय या थाने तक आने की आवश्यकता न हो, बल्कि पुलिस स्वयं उनके पास पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने और उनके समाधान का प्रयास करे।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद मुख्यालय पर केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ (Central Senior Citizen Cell) स्थापित किया गया है।

केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का नेतृत्व निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। यह प्रकोष्ठ वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों की निगरानी, थाना स्तर के प्रकोष्ठों से समन्वय तथा आवश्यक पुलिस कार्रवाई के फॉलो-अप का कार्य करता है। इसके साथ ही यह वरिष्ठ नागरिकों से लगातार FEEDBACK भी लेते हैं।

इस केंद्रीय व्यवस्था के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ सुनवाई और प्रभावी कार्रवाई हो तथा आवश्यकता पड़ने पर थाना स्तर की पुलिस को तत्काल समन्वित किया जा सके।

प्रत्येक थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता को केवल मुख्यालय तक सीमित न रखते हुए इसे प्रत्येक थाने तक पहुंचाया है।

प्रत्येक थाना स्तर पर—

- एक उपनिरीक्षक को वरिष्ठ नागरिक हेल्प डेस्क का प्रभारी बनाया गया है।

- प्रत्येक थाना स्तरीय हेल्प डेस्क पर एक महिला आरक्षी/महिला मुख्य आरक्षी को भी नामित किया गया है, ताकि महिला वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को विशेष संवेदनशीलता के साथ सुना जा सके।

❖ थाना स्तर के प्रकोष्ठ केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई एवं फॉलो-अप सुनिश्चित करते हैं।

"ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं—पुलिस पहुंचेगी आपके द्वार"

वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का उद्देश्य केवल शिकायत प्राप्त करना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना और उनके समाधान का प्रयास करना है।

गाजियाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के पास स्वयं पहुंचकर उनकी समस्याओं एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी ली जाती है तथा स्थानीय स्तर पर उनके निस्तारण का प्रयास किया जाता है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिक सुरक्षा संबंधी सावधानियों एवं व्यावहारिक सुरक्षा उपायों के बारे में व्यक्तिगत रूप से जागरूक किया जाता है।

यह जागरूकता केवल व्यक्तिगत संपर्क तक सीमित नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के बीच सुरक्षा संबंधी सावधानियों का सामूहिक स्तर पर भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए चौपाल, पार्क, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को **साइबर अपराध, धोखाधड़ी, अजनबियों से सावधानी, घरेलू सहायकों/केयरटेकर एवं अन्य सेवा प्रदाताओं** के सत्यापन तथा अन्य सुरक्षा उपायों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता के समय सहायता प्राप्त करने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 18001800060 तथा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14567 के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी

वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की इस पूरी व्यवस्था का पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से किया जाता है । इस व्यवस्था की निगरानी सहायक पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस उपायुक्त, स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा स्वयं समय-समय पर पर्यवेक्षण किया जाता है ।

वरिष्ठ नागरिक हमारे लिए केवल एक वर्ग नहीं हमारी जिम्मेदारी है

वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के अनुभव , संस्कार और मुल्यों की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा और सम्मान केवल पुलिस का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

<u>“घर वापसी”</u>

<u>दिनांक</u> 10/9/26 को हरदोई निवासी राम भजन जी (85 वर्ष), अपने बेटे के पास दिल्ली बॉर्डर में रहने के दौरान रात्रि टहलते समय भटक गये, जिनको अंकुर विहार सिनियर सिटीजन सेल/चीता मोबाइल-44 ने सक्रिय होकर असहाय बुजुर्ग से मोबाईल नम्बर बेटे का पता पूँछा नहीं बता पाने पर पुलिस ने C-PLAN एप से हरदोई मूल निवास खंगाल कर श्री रामभजन जी के भाई श्री रामपाल का नम्बर प्राप्त कर बुजुर्ग के बेटे श्री सत्यदेव के पास (9643529174) से सम्पर्क कर बुजुर्ग को सकुशल परिवार से मिलाया। इन प्रयासों के प्रतिफल से मिले आशीर्वाद तथा सन्तुष्टि ने हमे सदैव ऊर्जा प्रदान की है , जिससे पुलिस अपनेपन के साथ अनवरत् प्रयास करती है , करती रहेगी।

“कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस का स्पष्ट संदेश “

“आपका अनुभव हमारी विरासत है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी।”

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा • सम्मान • सेवा के लिए प्रतिबद्ध